राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

क्र. 881 मि.सं./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2019 रायपुर, दिनांक 22/10/19

प्रति,

संचालक,
पंचायत संचालनालय,
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः— **O.A. 710 of 2017 by Hon'ble National green tribunal regarding Bio Medical Waste Management.**

संदर्भः— उप सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक एफ 04—04/2019/32/मुख्या/तक/छ.ग.प.सं.मं./2019, दिनांक 23.08.2019।

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। संदर्भित्र पत्र का विषय आपसे संबंधित है। अतः पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— संदर्भित पत्र।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रः—882/मि.स./रा.स्व.भा.मि.(ग्रा.)/पं.ग्रा.वि.वि./2019 रायपुर, दिनांक 22/10/19

प्रतिलिपिः—

1. **सचिव**, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मिशन संचालक
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner

T.L.

Secy

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email id-henv.cg@nic.in

तत्काल

क्रमांक एफ 04–04/2019/32 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /08/2019

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,

विषय :– **O.A. No. 710 of 2017 by Hon'ble National green tribunal regarding Biomedical Waste management.**

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 22.07.2019

——000——

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करें।

2/ विषयांतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन कमांक P.No. B-31011/BMW(42.30)/2019/WMD-I/, दिनांक 05.07.2019 की छायाप्रति संलग्न है। विषयांकित मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रमुख पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2019 पर की जाने वाली कार्यवाही का संक्षिप्त ब्रीफ भेजते हुए उक्त निर्णय में विभिन्न बिंदुओं पर नियत समय–सीमा में कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जिस पर की गई कार्यवाही की जानकारी अब तक अपेक्षित है।

3/ माननीय अधिकरण द्वारा नियत समय–सीमा में कियान्वयन नहीं होने की स्थिति में प्रति माह रू. एक करोड़ की शास्ति देय होने का उल्लेख किया है। अतः आदेशानुसार निवेदन है कि उक्त निर्णय में पारित निर्देश का समयावधि में पालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि।

MD-SBM

तत्काल

(भोसकर विलास संदिपान)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

कमशः.....2

Scanned by CamScanner